-प्रा(८५ -

37

बिहार सरकार

विधि विभाग

सूचना

बिहार सरकार (विधि विभाग) द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणकों (नोटरियों) को सूचित किया जाता है कि ऐसा मामला प्रकाश में आया है कि नोटरी अधिनियम 1952 सह पठित नोटरी नियमावली 1956 के नियम-11(2) के आलोक में विहित प्रपत्र-XV में नोटरी रजिस्टर का संधारण कतिपय नोटरियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। साथ ही नोटरी नियमावली 1956 के नियम-12 में G.S.R. 150(E) दिनांक-04.03.2014 को हुए संशोधन के आलोक में नोटरी मुहर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जो कि उक्त अधिनियम एवं संगत नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन है।

इसके अलावा विभागीय पत्रांक-5048 दिनांक-31.08.2017 द्वारा विभाग का यह निर्णय भी संसूचित किया गया है कि राज्य सरकार (विधि विभाग) द्वारा नियुक्त सभी नोटरियों द्वारा शपथकर्त्ता/निष्पादी (executant) की पहचान स्थपित करने के निमित्त, शपथ-पत्र एवं अन्य नोटेरियल कार्य पंजीकृत करने के समय ही पहचान संबंधी वैध दस्तावेज यथा-आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई0 कार्ड की संख्या पंजी के संबंधित कॉलम में अंकित की जाए और यदि संभव हो तो उक्त दस्तावेज की हस्ताक्षरित प्रति संधारित रखी जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर शपथकर्त्ता/निष्पादी (executant) की पहचान आसानी से की जा सके। साथ ही यह भी संसूचित है कि यदि किसी नोटरी द्वारा इस निदेश का अनुपालन नही किया जाता है एवं किसी भी स्तर पर शपथकर्त्ता/निष्पादी (executant) की पहचान में कठिनाई उत्पन्न होती है तो इसके लिए संबंधित नोटरी को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है।

अतएव उक्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में विहित प्रपत्र-XV में विधिवत नोटरी रजिस्टर का अक्षरश: संधारण किया जाए एवं अद्यतन संशोधित नोटरी मुहर का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उपर्युक्त अंकित विभागीय पत्रांक-5048 दिनांक-31.08.2017 में निहित निदेशों का भी अक्षरश: पालन किया जाए अन्यथा जाँच के क्रम में यदि कोई अनियमितता पायी गयी तो नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

11/9/17

(मनोज कुमार)

सक्षम प्राधिकार-सह-संयुक्त सचिव-सह-

अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना।